KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

BPSC - Polity

By : Karan Sir

मुख्यमंत्री - Minister

मुख्यमंत्री का तात्पर्य

☛ भारत में, मुख्यमंत्री विधान सभा और जिन राज्यों में विधान परिषद् होता है (जैसे बिहार में नितीश कुमार, महाराष्ट्र में भूतपूर्व मुख्यमंत्री उदव ठाकरे), के द्वारा निर्वाचित राज्य का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके पास अपने राज्य की विभिन्न कार्यात्मकताओं के संबंध में शक्ति होती है। वे लोगों की सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करने के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि विभिन्न राज्य विभाग ठीक से और कुशलता से काम कर रहे हैं।

☛ भारत के मुख्यमंत्री रोजमर्रा के कार्यों को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। वे विभिन्न नीतियों के निर्माता हैं और उन्हें संप्रेषित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। उन्हें राज्य और जनता के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की जाती है। भारत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालाँकि, हर समय, यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने पक्ष में बहुमत का समर्थन बनाए रखें अन्यथा उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

- ❖ संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
- ❖ विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- ❖ राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है।
- ❖ हालाँकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियाँ राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं।
- ❖ एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उस समयसीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है।

मुख्यमंत्री बनने की योग्यता

☛ भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ पात्रता/मानदंड हैं जिन्हें उम्मीदवार को पूरा करना होगा। इसको पूरा किए बिना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। यह मानदंड इस प्रकार है–

- ❖ उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- ❖ उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ❖ उम्मीदवार को राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए।

नोट: मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा या शैक्षणिक योग्यता मानदंड निर्धारित नहीं है। इसलिए, केवल ऊपर उल्लिखित पात्रता मानदंड ही पूरे करने होंगे।

मुख्यमंत्री का कार्यकाल

- ❖ मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। हालाँकि सामान्य परिस्थितियों में उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- ❖ राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है।
- ❖ यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री का पद

☛ राज्य में मुख्यमंत्री का वही स्थान होता है जो देश के प्रधानमंत्री का होता है। सभी बिल और टैक्स मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही लगाए जा सकेंगे, गठबंधन सरकार की तुलना में बहुमत दल में मुख्यमंत्री को अधिक अधिकार और अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को पार्टी के सभी निर्वाचित सदस्यों के समर्थन की जरूरत है.

शक्तियाँ एवं कार्य

☛ मुख्यमंत्री के शक्तियों एवं कार्यों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है–

मंत्रिपरिषद के संबंध में

- राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो ।
- वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है।
- मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है।
- वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को प्रभावित करता है।
- वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है।
- अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भर या नहीं भी भर सकता ।

राज्यपाल के संबंध में :

- संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
  - राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे ।
  - राज्य के कार्यों के प्रशसन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे, और
  - किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चिय कर दिया है किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।
- मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है।

राज्य विधानमंडल के संबंध में:

- वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है।
- वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है।
- वह सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है।

अन्य कार्य:

- वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
- वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
- वह अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है, इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है।
- राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है।
- वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है।

मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व

- मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

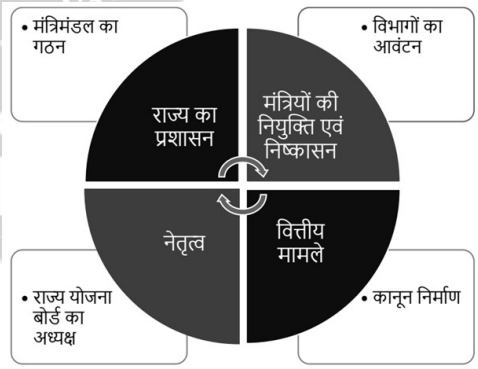

- **मंत्रिमंडल का गठन**- मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों की सूची तैयार करके मंत्रिमंडल का गठन करने की शक्ति होती है। राज्यपाल नियुक्ति करता है, और उपयुक्त उम्मीदवारों को मंत्री के रूप में चुना जाता है।
- **राज्य का प्रशासन**- राज्य के प्रशासन के लिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते हैं। वे विधायिका की नीतियों और कानूनों का पालन करते हैं।

- **विभागों का आवंटन**– मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। विभागों को बांटने और बदलने का एकमात्र अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है
- **मंत्रियों की नियुक्ति एवं निष्कासन**– मंत्रियों की नियुक्ति एवं हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने की सलाह देता है। हालाँकि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद सरकार भी गिर जाती है।
- **राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष**– मुख्यमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, इस प्रकार वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और बैठकों के एजेंडे को तैयार और नियंत्रित करता है।
- **नेतृत्व**– मुख्यमंत्री दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के स्पष्ट विचार के अभाव में मुख्यमंत्री सदनों में विचार प्रदर्शित कर सकते हैं।
- **वित्तीय मामले**– मुख्यमंत्री राज्य के वित्तीय मामलों के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जिसमें बजट, वित्तीय योजना, ढांचागत और विकासात्मक प्राथमिकताएं और राज्य की आर्थिक वृद्धि शामिल है।
- **कानून निर्माण**– मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को तैयार करता है और विधान सभा में मंत्रियों द्वारा पेश किए गए विधेयकों को मंजूरी या अस्वीकार करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद राज्यपाल राज्य विधानमंडल को बुलाकर भंग कर सकता है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री में अंतर

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री में निम्नलिखित प्रकार के अंतरों को देखा जा सकता हैं जैसे–

राज्यपाल और मुख्यमंत्री में अंतर

क्र.सं	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
1.	मुख्यमंत्री का कार्य संविधान के अनुसार राज्य के प्रशासन को चलाना होता है।	राज्यपाल का कार्य केंद्र सरकार के पर्यवेक्षक के रूप में यह देखना होता है कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक नियमों के अनुसार सचालित होता रहे।
2.	मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का वास्तविक प्रमुख होता है।	राज्यपाल राज्य के प्रशासन का नामात्र प्रमुख होता है।
3.	मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्यों को राज्यपाल को बताता है।	राज्यपाल राज्य सरकार को प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु सलाह दे सकते हैं तथा कानून व्यवस्था संतोषजनक न होने पर इसकी की सूचना केंद्र सरकार को भी दे सकते हैं ।
4.	सरकार में कौन मंत्री होगा और वह कौन से विभाग का प्रधान होगा यह तय करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होता है।	राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित एनी मंत्रियों को उनके पद से निष्काषित कर सकते है।
5.	जब किसी पार्टी के पास बहुमत होता है तब वह पार्टी राज्यपाल से सरकार बनाने को कहती है और राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपत दिलाते है।	संवैधानिक संकट की स्थिति में बहुमत वाले विपक्षी नेता को सरकार सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित कर सकते हैं।
6		सरकार भंग होने अथवा राष्ट्रपति शासन के दौरान राजपाल राज्य के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं ।

मुख्यमंत्री से सम्बंधित अनुच्छेद-

☞ संविधान में मुख्यमंत्री के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से संबंधित कई अनुच्छेद हैं जैसे-

- ❖ अनुच्छेद 163- मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है
- ❖ अनुच्छेद 164- मंत्री के संबंध में अन्य प्रावधान- राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति क्रमशः राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह द्वारा की जाती है।
- ❖ अनुच्छेद 166- किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन - राज्यपाल के पास राज्य के कार्यों को निष्पादित करने का पूरा अधिकार है।
- ❖ अनुच्छेद 167- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य-राज्य के प्रशासन के सभी निर्णयों को निष्पादित करने के लिए, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सूचित करती है।

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR